जिला लघु बचत कांगड़ा स्थित धर्मशाला की पारितोषिक निधि/विश्राम गृह निधि/जिला बचत विकास सेवा समिति निधि के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 4/11 से 3/13

भाग–एक

1 **गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–**

संस्था द्वारा पुराने पैरों के निपटारे हेतु कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/86 से लेकर 3/2011 तक निपटारे हेतु लगभग 83 पैरे शेष है जिनमें कई गम्भीर प्रवृति के हैं उदाहरण के रूप में लघु बचत विश्राम गृह निधि अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2003 के पैरा 9 व 10 में मै0 सूरज कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को अधिक किये गये भुगतान कुल राशि ₹220577/– को प्रकाश में लाया गया था परन्तु 10 वर्ष बीत जाने पर भी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा–1 में भी इस विषय को उठाया गया था, परन्तु इस सन्दर्भ में कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है पुराने पैरों पर कोई कार्यवाही अमल में न लाना एक चिन्तनीय विषय है इससे अंकेक्षण का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। यह मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में लाया जाता है ताकि पुराने पैरों के निपटारे हेतु उचित कार्यवाही अमल लाई जा सके। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त निपटारे हेतु शेष पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/86 से 3/87

1	पैरा–4 (1)	आंशिक निर्णीत (आंशिक कार्रवाई की गई)
2	पैरा–4 (2)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (3)	अनिर्णीत
4	पैरा–4 (4)	अनिर्णीत
5	पैरा–4 (5)	अनिर्णीत
6	पैरा–4 (6)	अनिर्णीत
7	पैरा–4 (7)	अनिर्णीत
8	पैरा–4 (8)	अनिर्णीत
9	पैरा–4 (9)	अनिर्णीत
10	पैरा–5 (2 से 8)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/90

1	पैरा–5 (1 से 10)	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (क से य)	अनिर्णीत
3	पैरा–7 (1 से 7)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/93

1	पैरा–5	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (क से घ)	अनिर्णीत
3	पैरा–7 से 9	अनिर्णीत
4	पैरा–11 से 17	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/93 से 3/2000

1	पैरा–5	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (क से ग)	अनिर्णीत
3	पैरा–7 व 8	अनिर्णीत
4	पैरा–9 (क तथा ख)	अनिर्णीत
5	पैरा–10 तथा 11	अनिर्णीत
6	पैरा–12 (क से घ)	अनिर्णीत
7	पैरा–13 से 16	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2001

1	पैरा–4 (क तथा ख)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (क तथा ख)	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (क तथा ख)	अनिर्णीत
4	पैरा–7	अनिर्णीत
5	पैरा–8 (क तथा ख)	अनिर्णीत
6	पैरा–9	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2002

1	पैरा–4	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (क, ख, ग)	अनिर्णीत
4	पैरा–7 (क, ख)	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2003

1	पैरा–3	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (क तथा ख)	अनिर्णीत
3	पैरा–7 (क, ख, ग)	अनिर्णीत
4	पैरा–8	अनिर्णीत
5	पैरा–9	अनिर्णीत
6	पैरा–10	अनिर्णीत
7	पैरा–11 (क, ख)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण एवं निरीक्षण अवधि 4/2003 से 3/2008

1	पैरा–4	अनिर्णीत
2	पैरा–5	अनिर्णीत
3	पैरा–6	अनिर्णीत
4	पैरा–7	अनिर्णीत
5	पैरा–8	अनिर्णीत
6	पैरा–9	अनिर्णीत
7	पैरा–10	अनिर्णीत
8	पैरा–11	अनिर्णीत
9	पैरा–12	अनिर्णीत

वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त जिला लधु बचत कांगड़ा स्थित धर्मशाला की विश्राम गृह निधि से सम्बन्धित गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों मे ंसमाविष्ट अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से रहीः–

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/93

1	पैरा–5	अनिर्णीत
2	पैरा–6	अनिर्णीत
3	पैरा–9	अनिर्णीत
4	पैरा–10 (ख)	अनिर्णीत
5	पैरा–10 (ग)	अनिर्णीत
6	पैरा– 10 (घ)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/93 सें 3/2000

1	पैरा– 5 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा– 5 (ग)	अनिर्णीत
3	पैरा– 6 (क)	अनिर्णीत
4	पैरा– 6 (ख)	अनिर्णीत
5	पैरा– 6 (ग)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2001

1	पैरा– 5 (ग)	अनिर्णीत
2	पैरा– 6	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2003

1	पैरा– 5	अनिर्णीत
2	पैरा– 6 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा– 6 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा– 7 (क)	अनिर्णीत
5	पैरा– 7 (ख)	अनिर्णीत

6	पैरा– 7 (ग)	अनिर्णीत
7	पैरा– 7 (घ)	अनिर्णीत
8	पैरा– 8	अनिर्णीत
9	पैरा– 9	अनिर्णीत
10	पैरा– 10 (क)	अनिर्णीत
11	पैरा– 10 (ख)	अनिर्णीत
12	पैरा– 10 (ग)	अनिर्णीत
13	पैरा– 10 (घ)	अनिर्णीत
14	पैरा– 10 (ङ)	अनिर्णीत
15	पैरा– 10 (च)	अनिर्णीत
16	पैरा– 10 (छ)	अनिर्णीत
17	पैरा– 11 (क)	अनिर्णीत
18	पैरा– 11 (ख)	अनिर्णीत
19	पैरा– 11 (ग)	अनिर्णीत
20	पैरा– 12	अनिर्णीत
21	पैरा–13 (क)	अनिर्णीत
22	पैरा–13 (ख)	अनिर्णीत
23	पैरा–13 (ग)	अनिर्णीत
24	पैरा–14	अनिर्णीत
25	पैरा–15	अनिर्णीत
26	पैरा–16	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2008

1	पैरा–4	अनिर्णीत
2	पैरा–5	अनिर्णीत
3	पैरा–6	अनिर्णीत
4	पैरा–7 (1)	अनिर्णीत
5	पैरा–7 (II)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2011

1	पैरा–3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क चैक सं0 505575 दिनांक 2.9.2012 पंजाब नैशनल बैंक के माध्यम से जमा करवाई गई)
2	पैरा–4 (क)	निर्णीत	
3	पैरा–4 (क) नोट (i)	निर्णीत	
	नोट (ii)	अनिर्णीत	
4	पैरा–4 (ख) (1)	निर्णीत	
5	पैरा–4 (ख) (II)	अनिर्णीत	
6	पैरा–5	अनिर्णीत	
7	पैरा–6	अनिर्णीत	
8	पैरा–7	अनिर्णीत	
9	पैरा–8	अनिर्णीत	
10	पैरा–9	अनिर्णीत	
11	पैरा–10	अनिर्णीत	
12	पैरा–11	अनिर्णीत	
13	पैरा–12	अनिर्णीत	

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

जिला लघु बचत, कांगड़ा स्थित धर्मशाला की पारितोषिक निधि, विश्राम गृह निधि तथा जिला बचत विकास सेवा समिति निधि के लेखों (अवधि 4/11 से 3/13) का अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री अशोक कुमार सूद (अनुभाग अधिकारी) व श्री भवनीश पुरी (आर्टिकल सहायक) द्वारा दिनांक 27.8.2013 से 31.8.2013 तक के दौरान धर्मशाला में किया गया। माह 1/12 11/2012 (आय) व 10/2011, 7/2012 व्यय के लेखाओं का चयन विस्तृत जॉच हेतु किया गया। अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा अध्यक्ष व सचिव के पद पर अपनी सेवाऐं प्रदान की गई।

(1) अध्यक्ष, कांगड़ा जिला बचत विकास एवं सेवा समिति एवं उपायुक्त कांगड़ा स्थित धर्मशाला

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	सर्व श्री आर0एस0 गुप्ता	1.4.11 से 31.5.12
2	के0आर0 भारती	1.6.12 से 4.1.13
3	श्री सी0 पालरासू	4.1.13 से लगातार

(2) सदस्य सचिव, कांगड़ा जिला बचत विकास एवं सेवा समिति एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी

1	सर्व श्री अमृत लाल शर्मा	1.4.11 से 31.5.11
2	कमल सरोच	2.6.11 से 5.5.12
3	डी0के0 रतन	8.5.12 से 1.2.13
4	राकेश शर्मा	2.2.13 से लगातार

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को कार्यालय के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

जिला लघु बचत, कांगड़ा स्थित धर्मशाला की पारितोषिक निधि, विश्राम गृह निधि तथा जिला बचत एवं विकास सेवा समिति निधि के लेखों (अवधि 4/11 से 3/13) का अंकेक्षण शुल्क ₹4400/— आंका गया। इस राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला—9 के नाम बैंक ड्राफ्ट बनाकर शिमला भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 122 दिनांक 31.8.2013 द्वारा जिलाधीश एवं लघु बचत कांगड़ा स्थित धर्मशाला से अनुरोध किया गया। जिसे उन्होंने पंजाब नैशनल बैंक के चैक संख्या 250154 दिनांक 3.9.2013 द्वारा शिमला भेज दिया।

4 वित्तीय स्थितिः–

जिला लघु बचत, कांगड़ा स्थित धर्मशाला के जिला बचत विकास सेवा समिति निधि के लेखों की अंकेक्षणाधीन अवधि के अन्तर्गत वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से रहीः–

	वर्ष 2011–12	**वर्ष 2012–13**
आरम्भिक शेष	987918	1532020
पावतियां	4974148	2575062
ब्याज	40715	48534
कुल योग	6002781	4155616
व्यय	4470761	2935503
अन्तशेष	1532020	1220113

<u>अन्तशेष का विवरणः–</u>

दिनांक 31.3.13 को रोकड़ वही अनुसार अन्तशेष जमा किये 1220113

चैक जो दिनांक 31.3.13 तक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुये

दिनांक	चैक सं0	जिसे जारी किया निर्मल वर्मा	
18.3.13	624083	एस0डी0ओ0 (इलैक्ट्रीसिटी)	15000
25.3.13	624085	धर्मशाला	4012
			1239125

घटायेः–

आय जो दिनांक 31.3.13 तक बैंक में क्रेडिट नही हुई

दिनांक	चैक सं0	राशि	
25.3.13	274	3000	3000
		हस्तगत राशि	3

दिनांक 31.3.13 को बैंक पास बुक अनुसार अन्तशेष 1236122

दिनांक 31.3.13 को बैंक में जमा राशि का विवरणः–

दिनांक 31.3.13 को पी0एन0बी0 कांगड़ा रोड धर्मशाला के खाता सं0 3373000101037332 में जमा राशि	1236122

5 निवेशः–

दिनांक 31.3.2013 तक समिति की विभिन्न बैंकों में जमा सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों का विवरण निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	बैक का नाम व खाता सं0	निवेश की तिथि	परिपक्वता की तिथि	दर	निवेशित राशि	परिपक्वता की राशि
1	पी0एन0बी0 धर्मशाला 3373000 DA 0007163	4.10.2011	19.11.2013	9.35%	1410014	1716285
2	एस0बी0बाई0 धर्मशाला 31933779899	7.9.2012	7.9.2013	8.5%	9392788	10218888

6 समिति के संचालन हेतु संचालक मण्डल की बैठक प्रत्येक तिमाही में की जानी अनिवार्य की गई है तथा समिति के कोष का उपयोग समिति के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ऐसे किसी भी कार्य हेतु किया जा सकेगा जो संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृत किया जाये।

जॉच में पाया गया कि समिति के संचालक मण्डल की कभी कोई बैठक ही नहीं हुई है सारा व्यय केवल अध्यक्ष, कांगड़ा जिला बचत विकास एवं सेवा समिति एवं उपायुक्त कांगड़ा स्थित धर्मशाला की संस्तुति व अनुमोदन उपरान्त किया गया है।

संचालक मण्डल की नियमानुसार बैठक न होना व व्यय हेतु कोंई स्वीकृति न प्राप्त करना, समिति के गठन पर ही प्रश्न चिन्ह लगाता है। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में लाया जाता है ताकि इस सन्दर्भ में उचित कार्यवाही अमल में लाई जा सके।

7 विभिन्न सरकारी कर्मचारियों को राशि उधार के रूप में प्रदान किया जानाः–

अभिलेख की जॉच मे ंपाया गया कि निधि से समय–समय पर विभिन्न कर्मचारियों को राशि उधार के रूप में प्रदान की गई परन्तु यह राशियॉ उनके द्वारा लम्बी अवधि/वर्षों पश्चात भी वापिस प्रदान नहीं की गई। अतः उधार दी गई इन राशियों को अविलम्ब सम्बन्धित

कर्मचारियों से प्राप्त कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। दी गई राशियों का विवरण निम्नलिखित है।

क्र0सं0	दिनांक	जिसे राशि उधार प्रदान की गई	जिस कार्य हेतु राशि प्रदान की गई	राशि (₹)
1	13.12.2011	जिला नाजर उपायुक्त कार्यालय	विधान सभा सत्र 2011 में अस्थाई दूरभाष लगाने हेतु	104750
2	13.12.2011	श्री जोगिन्द्र सिंह	आऊट डोर कैटरिंग	50000
3	4.1.2012	श्री नत्थु राम सहायक	——	5000
4	4.4.2012	श्री नत्थु राम सहायक	सरकारी टिकटें खरीदने हेतु	20000
5	24.4.2012	श्री नत्थु राम सहायक	सरकारी टिकटें खरीदने हेतु	20000
6	12.12.2012	श्री अजय कुमार सहायक	——	11620
7	2.1.2013	श्री नत्थु राम सहायक	——	6000
8	4.1.2013	जिला नाजर उपायुक्त कार्यालय	——	100000
9	10.1.2013	जिला नाजर उपायुक्त कार्यालय	——	50000
10	22.3.2013	श्री केवल कृष्ण	——	3000
11	8.3.2013	श्री उमेश प्रधान	शिमला के लिए यात्रा	1964
		कुल उधार दी गई राशि		**₹372334**

(II) अभिलेख की जांच में पाया गया कि कर्मचारियों को जब भी राशि उधार के रूप में प्रदान की जाती है उसका अलग से कोई ईन्द्राज नहीं लिया जाता है जिसका कारण स्पष्ट किया जाये तथा परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में ईन्द्राज लिया जाए ताकि प्रत्येक राशि की वापिसी व समायोजन सुनिश्चित हो सके।

8 विभिन्न कर्मचारियों के स्थानान्तरण अथवा सेवानिवृति पर दिये गये भोज/जलपान पर किये गये व्यय के सन्दर्भ में:–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में निधि से विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृति/स्थानांतरण पर निधि से जलपान पर किए गये व्यय पर आपत्ति उठाई गई थी क्योंकि नियमों में इस प्रकार के व्यय/भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं है। अभिलेख की जॉच में पाया गया कि वर्तमान अंकेक्षण अवधि 4/2011 से 3/2013 में भी निधि से इस प्रकार की मद पर व्यय अनियमित/अनुचित प्रकार से किया जाता रहा है। अतः किये गये व्यय को नियमानुसार उचित ठहराया जाये अन्यथा उचित स्त्रोत से किए गये व्यय की प्रतिपूर्ति करके, राशि वापिस जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये किये गये व्यय का विवरण निम्नलिखित है।

क्र0 सं0	दिनांक	जिसें राशि भुगतान की गई	प्रयोजन	राशि
1	1.7.2011	जिला नाजर	अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी को दी गई विदाई पार्टी	22570
2	28.6.2012	जिला नाजर	उपायुक्त श्री आर0एस0 गुप्ता जी को दी गई विदाई पार्टी	35240
3	2.3.2013	जिला नाजर	अधिकारियों को दी गई विदाई पार्टी	22395
4	22.9.2012	जिला नाजर धर्मशाला	उप–मण्डल अधिकारी (न) कांगड़ा को दी गई विदाई पार्टी	8611
5	22.9.2012	जिला नाजर धर्मशाला	तहसीलदार के किया गया रात्रि भोज	31984

9 अभिलेख की जॉच में पाया गया कि निधि से अधिशासी, आर0डी0डी0 को विभिन्न निर्माण कार्य करने हेतु लाखों रूपये प्रदान किए गये है परन्तु न तो राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र और न ही कार्य समाप्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया, जिन्हें प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण मे ंसत्यापित करवाया जाये। भुगतान की गई राशियो का विवरण निम्नलिखित है।

क्र0सं0	दिनांक	जिस कार्य हेतु राशि प्रदान की गई	राशि
1	18.7.2011	बचत भवन की नवीकरण	300000
2	20.7.2011	बचत भवन में बदलाव	222350
3	21.10.2011	देहरा में वकीलों के लिए चैम्बर का निर्माण	1080108
4	5.11.2011	कांगड़ा में बांउंडरी वॉल लगाने हेतु	422800
5	21.11.2011	एस0बी0आई0 के सामने बिल्डिंग बनाने हेतु	700000
6	16.2.2012	बचत भवन का नवीकरण	123000
7	16.2.2012	बचत भवन की मुरम्मत हेतु	433851
8	1.5.2012	श्री हबीब हुसैन के आवास की मुरम्मत	
9	19.7.2012	पालमपुर में वकिलों के चैम्बर का निर्माण	500000
10	19.7.2012	धर्मशाला में व्यवसायिक भवन का निर्माण	1500000
11	15.1.2013	केवल, चालक के लिए नया कमरा	100000

10 <u>बचत भवन धर्मशाला पर किये जा रहे व्यय के सन्दर्भ में:–</u>

दिनांक 15.3.2013 को निधि से राशि ₹31546.00 का भुगतान, बचत भवन के पानी के बिल के भुगतान स्वरूप किया गया। अभिलेख की जॉच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दो वर्षो में (दिनांक 1.4.2011 से 31.3.2013 तक) बचत भवन से केवल ₹15000.00 की आय अर्जित की गई जबकि अवधि में केवल बिजली व पानी के बिलों के भुगतान पर ही राशि ₹65004.00 व्यय किए गये इसमें अगर बचत भवन के रख रखाव के लिये नियुक्त चौकीदार व सफाई कर्मचारी इत्यादि का खर्चा भी डाला जाऐ तो यह राशि लाखों रूपये बन जाऐगे जबकि

जिला लधु बचत पुरस्कार राशि के प्रयोग के सन्दर्भ में स्थापित दिशा निर्देशों में स्थापित नियम 3 में स्पष्ट किया गया है कि पुरस्कार राशि से सृजित सम्पत्तियॉ अपना खर्चा अपने आप झेलने योग्य होनी चाहिए तथा किसी भी हालत में पुरस्कार राशि की आय में से सम्पत्तियों के रख रखाव पर कुछ भी व्यय नहीं किया जाना चाहिए। अतः पुरस्कार राशि से बचत भवन के रख–रखाव पर किये जा रहे लाखों रूपये के व्यय को नियमानुसार उचित ठहराया जाये।

11 दिनांक 25.10.2011 को मै0 अनिल ईलैक्ट्रीकल वर्क को राशि ₹39960/– का भुगतान, उपायुक्त निवास पर किए गये बिजली के कार्यो की एवज में किया गया जबकि नियमों में इस प्रकार का व्यय किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है उपरोक्त के अतिरिक्त जिलाधीश/उपायुक्त निवास का रख–रखाव लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। अतः किये गये व्यय को नियमानुसार उचित ठहराया जाये अन्यथा उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करके राशि वापिस जमा करवा कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

12 दिनाकं 15.1.2013 को राशि एक लाख रूपये अधिशाषी अभियन्ता, आर0डी0डी0 के पास, श्री केवल, चालक के लिए एक नया कमरा बनाने हेतु जमा करवाये गये। दिनांक 1.5.2012 को राशि ₹30000.00 श्री हबीब हुसैन के आवास की मुरम्मत हेतु व्यय किए गये जबकि जिला पुरस्कार राशि के प्रयोग से सम्बन्धित दिशा निर्देशों संख्या (2) (बी) से स्पष्ट किया गया है कि पुरस्कार राशि कार्यालय, आवास विद्यालय भवनों इत्यादि पर व्यय नहीं की जा सकती। अतः किये गये उपरोक्त वर्णित व्ययों को नियमानुसार उचित ठहराया जाये अन्यथा उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति कर व राशि जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

13 दिनाकं 27.9.2012 को राशि ₹7000/– का भुगतान श्री लीला राम महादेय को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के आवास के सोफे की मुरम्मत करने पर किया गया, यह व्यय निधि पर उचित प्रभार नहीं है जिसे नियमानुसार उचित ठहराया जाये अन्यथा उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करके राशि जमा करवाकर, अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाऐ।

14 <u>पारितोषिक निधि शीर्ष के अन्तर्गत दिनांक 31.3.13 को बैंक खाता संख्या 3373000101014650 में जमा राशि ₹76503.00 के सन्दर्भ में:–</u>

दिनांक 5.8.09 को पंजीकरण संख्या 4313 के अन्तर्गत पारितोषिक निधि व विश्राम गृह निधि इत्यादि का जिला बचत विकास सेवा समिति में विलय पर पंजीकृत किया गया तदानुसार उक्त निधियों से सम्बन्धित बैंक खातों का जिला बचत विकास सेवा समिति में विलय कर दिया गया परन्तु जॉच के दौरान पाया गया कि पारितोषिक निधि शीर्ष के अन्तर्गत बैंक खाता संख्या 3373000101014650 में दिनांक 31.3.13 को राशि ₹76503.00 जमा है जिस बारे अनुभाग अधिकारी की आडिट अधियाचना संख्या 121 दिनांक 29.8.13 द्वारा अतिरिकत जिला दण्डाधिकारी के समक्ष मामला भी उठाया गया। अतः परामर्श दिया जाता है कि पारितोषिक निधि शीर्ष के अन्तर्गत बैंक खाता संख्या 3373000101014650 में दिनांक 31.3.13 को जमा राशि ₹76503.00 को जिला बचत विकास सेवा समिति निधि के बैंक खाते में हस्तांतरित करना सुनिश्चित किया जाये ताकि भविष्य में उक्त राशि के दुरूपयोग से बचा जा सके व जिला बचत विकास सेवा समिति के कार्यों में उपयोग लाया जा सके तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

15 <u>सावधि जमा राशि पर अर्जित ब्याज पर 20**%** पर दर में स्त्रोत से काटे गये आयकर (**TDS**) के सन्दर्भ में:–</u>

(i) जॉच के दौरान पाया गया कि पी0एन0बी0 सावधि जमा खाता सं0 337300DA00007163 के अन्तर्गत जमा राशि पर अर्जित ब्याज पर नीचे दिये विवरणानुसार संस्था द्वारा बैंक को आहरण एवं वितरण अधिकारी का TAN No. न देने के कारण 20**%** की दर से स्त्रोत से आयकर (TDS) की कटौती की गई

दिनांक	अर्जित ब्याज	20**%** की दर से स्त्रोत से आयकर (**TDS**) की कटौती
25.11.11	31896	5149
25.3.12	33575	6715

24.6.12	34163	6833
23.9.12	34838	6968
24.3.13	71859	14371
	कुल योग	40036

सावधि जमा पर अर्जित ब्याज पर 20**%** की दर से स्त्रोत से आयकर (TDS) की राशि ₹40036.00 की कटौती की गई। इस सन्दर्भ में चर्चा करने पर पाया गया कि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा बैंक को आहरण एवं वितरण अधिकारी का TAN No. न देने के कारण 20**%** की दर से (TDS) स्त्रोत से आयकर की कटौती की गई अगर यह TAN No. बैंक को सौंप दिया जाता तो स्त्रोत से आयकर (TDS) 10**%** की दर से कटौती की जाती जोकि सम्बन्धित कर्मचारी से लापरवाही को दर्शाता है। अतः TAN No. न देने के कारण स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में TAN No. देना सुनिश्चित किया जाये ताकि किसी प्रकार की अधिक कटौती से बचा जा सके।

(ii) क्योंकि यह एक सरकार द्वारा संचालित सेवा समिति है। अतः इसकी ब्याज के रूप में अर्जित आय पर आयकर की कटौती उचित प्रतीत नहीं होती है। अतः भविष्य में आयकर की छूट/वापिसी हेतु आयकर विभाग से मामला उठाया जाये तथा विभाग द्वारा काटी गई राशि को प्राप्त किया जाए। की गई कार्यवाही से इस विभगा को अवगत करवाया जाये।

16 <u>लधु बचत भवन देहरा से कोई आय प्राप्त न होन बारेः–</u>

रिकार्ड/अभिलेख की जॉच में पाया गया कि जिला लधु बचत का भवन देहरा में है जिसके ऊपर समय–समय पर लधु बचत द्वारा खर्चा भी किया जा रहा है परन्तु आज तक इस भवन से एक पैसा भी आय के रूप में जमा नहीं हुआ है। उपायुक्त कांगड़ा द्वारा पत्र संख्या 413 दिनांक 03.9.09 के अन्तर्गत उप मण्डलाधिकारी (ना) देहरा से 1.50 लाख रूपये किराये को जमा करवाने के निर्देश दिये थे परन्तु कोई राशि जमा नहीं करवाई गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये।

17 **<u>उचित वित्तीय प्रबन्धन न होने के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना:–</u>**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि जिला बचत विकास सेवा समिति द्वारा दिनांक 7.9.12 को 8.50**%** की ब्याज दर पर राशि ₹9392788.00 सावधि जमा के अन्तर्गत निवेशित किए गए जबकि इसी संस्थान के ई–गर्वनैन्स सोसाईटी धर्मशाला द्वारा राशि इसी अवधि के दौरान दिनांक 7.6.12 को इलाहाबाद बैंक धर्मशाला में 9.25**%** की दर से सावधि जमा के अन्तर्गत निवेशित की गई इस प्रकार अगर 9.25**%** की दर से राशि निवेशित की जाती तो लगभग राशि ₹70445.91 की अतिरिक्त आय होती जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस बारे मामले को प्रशासन के ध्यान में लाया जाता है कि भविष्य में विभिन्न बैंकों से ब्याज सम्बन्धित जानकारी लेकर सावधि जमा के अन्तर्गत निवेशित किये जाये।

(ii) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.3.11 को राशि ₹3434206.00 सावधि जमा में निवेशित थे जिसमें से दिनांक 3.11.11 को राशि ₹100287700 व दिनांक 17.12.11 को राशि ₹1009123.00 आहरित किये गये। अतः समय से पहले उक्त राशियों को भुनाने से 1**%** कम ब्याज दिया गया। अतः संस्थान द्वारा उचित प्रकार से वित्तीय प्रबन्धन न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये व भविष्य में जरूरत अनुसार सावधि जमा में निवेशित किया जाये ताकि ब्याज की हानि से बचा जा सके।

18 **<u>किरायेदारों से अनुबन्ध न करने बारे व अनुबन्ध की शर्तों की अनुपालना के सन्दर्भ में:–</u>**

जॉच के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट "क" अनुसार ऐडवोकेट चॅम्बर्स के आंबटियों (Aloteec) से अनुबन्ध नहीं किये गये व इसके अतिरिक्त शापिंग काम्पलैक्स फतेहपुर की 9 दुकानों इन्दौरा की 6 दुकानों व ज्वाली के 28 चैम्बर के आंबटियों से शपथ पत्र लिये गये जबकि उक्त आंबटियों के साथ नियमानुसार अनुबन्घ किये जाने अपेक्षित थे। अतः अनुबन्ध न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अविलम्ब सभी किरायेदारों से अनुबन्ध का किया जाना सुनिश्चित करते हुये जिससे अन्य शर्तों के अतिरिक्त किराये बढ़ौतरी की शर्त के साथ–2 समय पर किराया न देने की अवस्था में विलम्ब शुल्क इत्यादि का प्रावधान कर

अनुबन्ध किये जाए व पूर्व में किये गये अनुबन्धों के नवीनीकरण एवं किराये में बढ़ौतरी सम्बन्धी पग उठाये जाये तथा की गई कार्यवाही से आगामी आडिट को अवगत करवाया जाये।

19 पट्टाधारियों/किरायेदारों से बकाया राशियों की वसूली के सन्दर्भ में:–

जॉच के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट "क" अनुसार अंकेक्षण अवधि तक जिला बचत विकास एवं सेवा समिति के पट्टाधारियों/किरायेदारों से राशि ₹42040.00 वसूली हेतु शेष है। अतः पट्टाधारियों/किरायेदारों से बकाया राशियों की वसूली हेतु उचित पग उठाये जाये तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

20 लधु आपत्ति विवरणी:– यह अलग से जारी नहीं की गई हैं

21 निष्कर्ष:– लेखाओं के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0)एच(2)सी(15)(14) 113/87 खण्ड–3 दिनांक, 29.01.2014, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृतः 1. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को शीघ्र प्रेषित करें।

2 उपायुक्त कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

3 निदेशक लघु बचत हि0प्र0 शिमला–2

हस्ता/
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.